न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 30/2024

बउनवान

अब्दुल हफीज आयु 74 वर्ष पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी बस स्टैण्ड अन्ता तह० अन्ता जिला बारां राजस्थान

अपीलाण्ट्

बनाम

1. मोहम्मद काबिल पुत्र अयूब खां जाति मुसलमान निवासी कन्सुआ कोटा तह० लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
2. मोहम्मद कय्यूम पुत्र अयूब खां जाति मुसलमान निवासी कन्सुआ कोटा तह० लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
3. मोहम्मद अकिल पुत्र अयूब खां जाति मुसलमान निवासी कन्सुआ कोटा तह० लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
4. शमीम बानों पुत्री अय्यूब खां पत्नी सलाम जाति मुसलमान निवासी कन्सुआ कोटा तह० लाडपुरा जिला कोटा हाल मुकाम स्टेडियम के पीछे कोटा बारां रोड वाली गली अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान
5. तहसीलदार अन्ता जिला बारां राजस्थान ।
6. हल्का पटवारी ग्राम अन्ता–II पटवार मण्डल बमोरी तह० अन्ता जिला बारां राजस्थान।

– रेस्पोडेण्ट्स

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 620 दिनांक 10.07.2024

उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक (अपीलांट)

2. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (रेस्पोडेण्ट)

निर्णय दिनांक 10.09.2025

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम अन्ता II तह० अन्ता जिला बारां राजस्थान में हाल खसरा नं. 1764 रकबा 0.36 हे०, साबिक ख. नं. 1246 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, हाल ख.नं. 1815 रकबा 0.13 हे०, साबिक ख.नं. 1538/1246 रकबा 9 बिस्वा, हाल ख.नं. 1818 रकबा 0.19 हे०, साबिक ख.नं. 1533/1246 रकबा 11 बिस्वा कृषि आराजी स्थित है। उक्त आराजीयात रेस्पोडेण्ट के पिता के खाते दर्ज थी जिनमें से बाद सेटलमेन्ट हाल ख.नं. 1764 रकबा 0.36 हैं० साबिक ख.नं. 1246 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ही रेस्पोडेण्ट के पिता के नाम खाते दर्ज है। उक्त खं.नं. को इस अपील में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजीयात रेस्पोडेण्ट 1 ता 4 के पिता अयूब खाँ को आवंटित हुई थी। वक्त आवंटन प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पिता के पास आवंटन राशि नही होने से उन्होनें अपीलाण्ट से रकम उधार लेकर आवंटनशुदा जमीन की राशि सरकार को चुकायी। तथा उक्त रकम व अन्य रकम के प्रतिफलस्वरूप रेस्पोडेण्ट 1 ता 4 के पिता ने उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात उक्त आराजी का बेचान अपीलाण्ट को कर कब्जा अपीलाण्ट को सम्भला दिया तथा उक्त आराजी को अपीलाण्ट के नाम खाते दर्ज करने हेतु एक इकरारनामा अपीलाण्ट के पक्ष में लिखकर दिनांक 17.08.1983 को तहरीर व तकमील करा दिया तथा उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अपी[illegible] वचन दिया। तब से अपीलाण्ट सन 1983 से बतौर काश्तकार काबिज काश्त चला[illegible] रहे [illegible]। रेस्पोडेण्ट 1 ता 4 की मां का देहान्त हो चुका है, जिनकी मृत्यु उपरा[illegible] रेस्पोडेण्ट 1 ता 4 के पिता अय्यूब खां की मृत्यु दिनांक 24.01.1994 को होने के पश्चात रेस्पोडेण्ट 1 ता [illegible] रेस्पोडेण्ट 1 ता 4 की मां श्रीमती अख्तर बानो पत्नि अयूब खां द्वारा 1 घोषण पत्र दि[illegible].09.1984 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपीलाण्ट के पक्ष में लिख दिया कि अपील की मद क्रम 1 में वर्णित आराजी आवंटन के समय से ही किस्त व अन्य प्रतिफल राशि प्राप्त कर रेस्पोडेण्ट के पिता ने अपीलाण्ट से प्राप्त कर उक्त वर्णित आराजी अपीलाण्ट से प्राप्त कर कब्जा अपीलाण्ट को सम्भला दिया है तथा उक्त वर्णित आराजी का इन्तकाल रेस्पोडेण्ट के नाम नहीं खोला जाकर अपीलाण्ट के नाम खोला जावे तथा अपीलाण्ट के नाम इन्तकाल खोले जाने में रेस्पोडेण्ट व उनकी माँ कोई उज्र आपत्ति नही है। इस प्रकार उक्त आशय का घोषणा पत्र पाँच रूपये के कीमती स्टाम्प पर लिखकर नोटेरी से तस्दीक करवाकर अपीलाण्ट को दिया जो दिनांक 20.09.1984 से प्रमाणित है तथा रेस्पोडेण्ट 1 ता 4 के पिता द्वारा लिखे गये इकरारनामा 17.08.1983 से प्रभावित है। अपील की मद नं. 2 में वर्णित कृषि आराजी को अपीलाण्ट ने अपने खाते व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 4 के पिता अय्यूब खां द्वारा लिखकर दिया इकरारनामा दिनांक 17.08.1983 तथा रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 4 व उनकी माँ द्वारा लिखकर नोटेरी से रजिस्टर्ड तस्दीक करवा कर दिया गया घोषणा पत्र दिनांक 20.09.1984 अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाँ सुनवाई के पश्चात तथा भू मापक द्वारा ली गई रिपोर्ट के आधार पर तथा रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 4 व उनकी माँ के द्वारा दिये गये घोषणा–पत्र व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 4 के पिता द्वारा लिखे गये इकरारनामा तथा रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 4 के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अपीलाण्ट द्वारा उक्त वर्णित आराजी की जमा कराई गई लगान, रशीदें व सिचाई की रसीदों के आधार पर उक्त वर्णित आराजी अपीलाण्ट के नाम खाते दर्ज करने के आदेश दिनांक 21.11.1984 को न्यायालय द्वारा पारित किये गये। जो कि नकल निर्णय दिनांक 21.11. 1984 तथा नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.1984 तथा नकल मिसल संख्या 305/84 से प्रमाणित है। उक्त वर्णित आराजी को अपीलाण्ट के नाम खाते दर्ज करने के आदेश मिसल संख्या 305/84 में उक्त उनवान के प्रकरण अब्दुल हफीज में 21.11.1984 को पारित करने के उपरान्त अपीलाण्ट के नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नाम पर्चा तैयार किया जो प्रमाणांकन के पर्चा नोटिस से प्रमाणित है। न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय दिनांक 21.11.1984 को अपीलाण्ट नाम खाते दर्ज कर देने के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा संहवन से त्रुटिवश उक्त कारित करते हुए उक्त वर्णित आराजी अपीलाण्ट के खाते दर्ज नहीं कर त्रुटि कारित करते हुए रेस्पोडेण्ट्स के पिता का ही नाम दर्ज खाते रहने दिया गया जिसको हटवाकर अपीलाण्ट अपने नाम खाते दर्ज करवा पाने का पूर्णतः अधिकारी व नालिशी है। जिसको अपीलाण्ट के नाम खाते दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। रेस्पोडेण्ट 1 ता 4 ने अपने पिता का नाम खाते दर्ज होने का लाभ उठाकर तहसील अन्ता को बिना तथ्यों की जानकारी दिये अपने पक्ष में इन्तकाल की कार्यवाही चोरी–छिपे पेश की गई, जिसका सन् 1984 से उक्त आराजी पर कोई हक अधिकार तथा कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त आराजी अपीलाण्ट द्वारा खरीदशुदा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर इन्तकाल नं. 620 दिनांक 10/07/2024 को निरस्त फरमा कर विधिवत जांच कर अपीलाण्ट के पक्ष में इन्तकाल खोला जावे। तथा अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में रेस्पोडेण्ट दखल अंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवायें। इस आशय की निषेधाज्ञा से रेस्पोडेण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस उभयपक्ष हेतु नियत किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। [illegible] अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी [illegible] रेस्पोडेन्टस क्रम 1 ता 4 के पिता को आवंटित हुई थी। परंतु रेस्पोडेन्टस के पिता के [illegible] आवंटन राशि नहीं होने से उन्होंने अपीलाण्ट से रकम उधार लेकर आवंटनशुदा [illegible] को चुकायी। तथा उक्त रकम व अन्य रकम के प्रतिफलस्वरूप रेस्पो[illegible] उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

पश्चात उक्त आराजी का बेचान अपीलाण्ट को कर कब्जा अपीलाण्ट को सम्भला दिया तथा उक्त आराजी को अपीलाण्ट के नाम खाते दर्ज करने हेतु एक इकरारनामा अपीलाण्ट के पक्ष में लिखकर दिनांक 17.08.1983 को तहरीर व तकमील करा दिया तथा उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट के खाते दर्ज करवाने हेतु वचन दिया। तब से अपीलाण्ट सन 1983 से बतौर काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है। न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी दिनांक 21.11.1984 को अपीलाण्ट नाम खाते दर्ज कर देने के आदेश के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा संहवन से त्रुटिवश उक्त वर्णित आराजी अपीलाण्ट के खाते दर्ज नहीं कर त्रुटि कारित करते हुए रेस्पोडेण्ट्स के पिता का ही नाम दर्ज खाते रहने दिया गया। रेस्पोडेन्ट्स कम 1 ता 4 के पिता एवं माता की मृत्यु उपरांत अपने पिता का नाम खाते दर्ज होने का लाभ उठाकर तहसील अन्ता को बिना तथ्यों की जानकारी दिये अपने पक्ष में इन्तकाल की कार्यवाही चोरी–छिपे पेश की गई, जिसका सन् 1984 से उक्त आराजी पर कोई हक अधिकार तथा कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त आराजी अपीलाण्ट द्वारा खरीदशुदा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर इन्तकाल नं. 620 दिनांक 10/07/2024 को निरस्त फरमा कर विधिवत जांच कर अपीलाण्ट के पक्ष में इन्तकाल खोला जावे। तथा अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में रेस्पोडेण्ट दखल अंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवायें। इस आशय की निषेधाज्ञा से रेस्पोडेण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खंडन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट्स के पिता को कीमतन आवंटित की गई थी। तथा उनकी मृत्यु उपरांत विरासतन रेस्पोडेन्ट्स के खाते दर्ज हुई है। न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को पुरानी एन्ट्री को सही करने का अधिकार है नया नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट ने विवादित आराजी खरीदशुदा होना बताया है, यदि रेस्पोडेन्ट्स के पिता ने उक्त आराजीयात का बेचान अपीलांट को किया था तो अपीलांट सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अपने खाते दर्ज कराने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में खोला जाकर तस्दीक किया गया नामान्तकरण पूर्णतया वैध है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नामान्तकरण कार्यवाही समरी ट्रायल एवं फिसकल कार्यवाही है जिसके माध्यम से किसी के हक अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि रेस्पोडेन्ट्स के पिता ने प्रश्नगत आराजी का बेचान कर कब्जा अपीलांट को संभलाया था तथा उसके खाते की आराजी अपीलांट के खाते दर्ज की जानी चाहिये परंतु अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट ने अपील में पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:51 IST
Reason: SelfAttested